नगर परिषद नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/09 से 3/12 तक

भाग–I

1 **(क) प्रारम्भिकः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन(एल0ए0) –खण्ड–IV दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया। वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न प्रधान व कार्यकारी अधिकारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पद पर कार्यरत्त रहेः–

1.1 अध्यक्षः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री कुलदीप चन्द धीमान	19.01.2006 से 31.1.2011
2	श्रीमति हिमाद्री सोनी	01.02.2011 से 31.3.12

1.2 कार्यकारी अधिकारी :–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री चमन लाल (सचिव)	11.11.08 से 11.02.2010
2	श्री देश राज चौधरी	11.02.2010 से 31.3.12

2 गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

नगर परिषद नगरोटा बगवां के लेखाओं अवधि 4/2009 से 3/2012 तक के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	गम्भीर अनियमितता का सार	पैरा सं0	राशि ₹ लाख
1	अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी न करना।	4.3.1	212.53
2	अनुदान राशियो का उपयोग न करने बारे।	4.3.2	19.15
3	बकाया राशियों की वसूली हेतु कार्यवाही न करना।	5.3	27.16
4	निर्धारित दरों पर गृह कर की मांग न करने के कारण वित्तीय हानि बारे।	5.4	5.45
5	गृह कर की बकाया राशि पर 10% की दर से सरचार्ज की वसूली न करना।	5.5	0.89
5	नियमानुसार लीज की वसूली न करने बारे।	5.10	1.66
6	स्थानीय यात्रा एवं विविध भत्ते के रूप में अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली बारे।	6.14	0.11
7	संस्थापना पर बजट से अधिक व्यय।	7.2	62.42
8	गाड़ियों की औसत तेल खपत की गणना माहवार न करने के कारण हुई वित्तोय हानि बारे।	10	1.35

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण के परिशिष्ट **"A"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही सुनिश्चित करें व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग—II

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

नगर परिषद नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा, के अवधि 4/09 से 3/12 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण/जांच परीक्षण श्री राजवीर सिंह, अनुभाग अधिकारी तथा श्री भवनीश पुरी आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 3.4.12 से 13.5.12 तक के दौरान नगर परिषद के कार्यालय में सम्पन्न किया गया। विस्तृत जांच हेतु निम्न विवरणानुसार महीनों का चयन किया गया जिसके परिणामों को अगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	चयनित माह (आय)	चयनित माह (व्यय)
1	2009—10	03/2010	08/2009
2	2010—11	03/2011	05/2010
3	2011—12	03/2012	06/2011

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार की गलत सूचना या सूचना जो अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं करवाई गई की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है। विभाग की जिम्मेवारी केवल अंकेक्षण के लिये चयनित किये गये महीनों तक ही सीमित है।

2 अंकेक्षण शुल्कः—

नगर परिषद के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹31400/—आका गया। जिसे राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद से अंकेक्षण अधियाचना संख्याः आर0वी0एस0(आडिट)/2012/55 दिनांक 7.5.2012 द्वारा अनुरोध किया गया। उक्त राशि को बैंक ड्राफ्ट के द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग शिमला—9 के नाम यथाशीध्र भेजना सुनिश्चित किया जाए।

3 वित्तीय स्थितिः—

कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नगरोटा बगवां द्वारा उपलब्ध करवाये गये अभिलेख अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद के लेखाओं (अपने स्त्रोतों से प्राप्त आय तथा अनुदान राशियों) का रख—रखाव सम्मिलित रूप में एक ही रोकड़ वही में किया गया था जिसकी वित्तीय स्थिति एवं बैंक समाधान विवरणिका का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः—

3.1 बैंक खातों के रख–रखाव के बारे में:–

नगर परिषद नगरोटा बगवां द्वारा दिनांक 31.3.12 तक विभिन्न बैंकों में कुल 14 खाते खुलवा रखे थे जिनमें इस तथ्य का स्पष्टता अभाव था कि विभिन्न शीर्षकों (own Sources एवं Grants) की प्राप्त आय कौन से खाते में जमा की गई थी तथा विभिन्न शीर्षकों का व्यय कौन से खाते से किया गया था जिससे उपरोक्त विभिन्न शीर्षकों की अलग–2 वित्तीय स्थिति का सही चित्रण नहीं हो पाता। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि वर्तमान खातों को बन्द/इकटठा करके उक्त शीर्षकों हेतु अलग–2 खाते खुलवाएं जाये तथा रोकड़ वही से उक्त शीर्षकों की राशि की सही गणना उपरान्त सम्बन्धित खातों में डाली जाए तथा भविष्य में सम्बन्धित शीर्षक की आय–व्यय का लेन–देन सम्बन्धित खाते से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि अलग–2 शीर्षकों की वित्तीय स्थिति का सही चित्रण किया जा सके।

4 अनुदानः–

4.1 अनुदान राशियों की वित्तीय स्थितिः–

उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार अवधि 4/09 से 3/12 तक नगर परिषद नगरोटा बगवां की अनुदान राशियों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से रहीः–

वर्ष	आरम्भिक शेष	पावतियॉ	कुल योग	व्यय	अन्तशेष
2009–10	394000	7684233	8078233	6780873	1297360
2010–11	1297360	8437049	9734409	9420695	313714
2011–12	313714	16300855	16614569	12336506	4278063

नोटः– अनुदान राशियों का आरम्भिक शेष कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नगरोटा बगवां के पत्र संख्या 245/NPNB दिनांक 03.05.2012 के अनुसार राशि ₹394000/–लिया गया है (प्रतिलिपि साथ में संलग्न है)

4.2 पूर्ववर्ती अवधि के दौरान बची हुई भोष अन्दान राशि बारेः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/07 से 3/09 के परिशिष्ट "घ" के अनुसार दिनांक 31.3.09 को राशि ₹3,94,000/–की अनुदान राशियां व्यय नहीं की गई दर्शाई गई थी जिनका पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "B" पर दिया गया है। परिशिष्ट क अवलोकन पर यह पाया गया कि वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान उक्त लम्बित पड़ी अनुदान राशियों में से ₹3,70,000/–की राशि व्यय की गई थी तथा ₹24000/–की राशि शेष थी। यह शेष राशि वर्ष 2008–09 से सम्बन्धित है तथा जिस कार्य के लिये उक्त राशि प्राप्त हुई थो वह कार्य भी पूर्ण किया जा चुका है। अतः स्पष्ट है नगर परिषद द्वारा अनुदान राशि के उपयोग करने उपरान्त शेष बची राशि को सम्बन्धित विभाग को वापिस नहीं लौटाया गया।

अतः शेष राशि को अविलम्ब वापिस लौटाया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त व्यय की गई राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र भी सम्बन्धित विभागों को शीध्र प्रेषित किये जाये।

4.3 वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशि बारेः—

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद को विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुदान राशियों के आय व्यय की सूची इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "B" पर दी गई है। परिशिष्ट के अवलोंकन/जांच उपरान्त निम्नलिखित आपत्तियां पाई गईः—

4.3.1 राशि ₹212.53 लाख के अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी न करनाः—

उपरोक्त परिशिष्ट "B" अनुसार अवधि 4/09 से 3/12 के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों में से उपयोग की गई अनुदान राशि ₹2,12,53,231/—के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभागों को जारी नहीं किये गये थे जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

वर्ष	अनुदान राशि की क्रम सं0	राशि
2009—10	क्र0सं0 1, 2, 4 से 7, 9 से 13	59,74,233
2010—11	क्र0सं0 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17	54,43,143
2011—12	क्र0सं0 1, 4 से 13, 16, 17, 18, 21	98,35,855
		2,12,53,231

अतः उपरोक्त अनुदान राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभागों को शीध्र प्रेषित किये जाये।

4.3.2 अनुदान राशियों ₹19.15 लाख का उपयोग न करने बारेः—

परिशिष्ट "B" अनुसार नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुदान राशियों में से कुछ का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया था जिनका विवरण निम्नलिखित हैः—

वर्ष	अनुदान राशि की क्रम सं0	राशि
2011—12	क्र0सं0 2, 15, 19, 20	19,15,000
	योग	**19,15,000**

अतः उपरोक्त उपयोग न की गई अनुदान राशि ₹19,15,000/—को उपयोग करने से पूर्व कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाये ताकि अनुदान राशि के दुरूपयोग की सम्भावना से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त वर्ष 2011—12 में प्राप्त अनुदान राशि ₹28,00,000/—(क्र0सं0 3) में से ₹8,00,000/— एवं ₹17,50,000/— (क्र0सं0 14) में से ₹15,39,063/—के कार्य प्रगति पर थे। अतः उक्त कार्यो को शीध्र पूर्ण करने उपरान्त भुगतान की गई राशि अनुसार उयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभागों को प्रेषित किये जाने सुनिश्चित किये जाये।

5 आयः–

5.1 नगर परिषद निधि की वित्तीय स्थितिः–

उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार अवधि 4/09 से 3/12 तक की नगर परिषद नगरोटा बगवां की नगर परिषद निधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से रहीः–

वर्ष	आरम्भिक शेष	पावतियाँ	कुलयोग	व्यय	अन्तशेष
2009–10	770045.28	2488404	3258449.28	1113742	2144707.28
2010–11	2144707.28	2139428	4284135.28	1268690	3015445.28
2011–12	3015445.28	2271528	5286973.28	4367212	919761.28

नोटः– नगर परिषद निधि (अपने स्त्रोंतों) का आरम्भिक शेष कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नगराटा बगवां के पत्र संख्या 245/NPNB दिनांक 03.05.2012 के अनुसार राशि ₹770045.28/–लिया गया है (प्रतिलिपि साथ में संलग्न है)

5.2 अपने स्त्रोतों से प्राप्त आय बारेः–

उपलब्ध करवाये गये अभिलेख अनुसार नगर परिषद द्वारा अपने स्त्रोतों से प्राप्त आय का ब्यौरा निम्न पकार से रहाः–

वर्ष	आय जो प्राप्त की गई	गत वर्ष की आय	टिप्पणी
2009–10	24,88,404	1431358	(+) 74%
2010–11	21,39,428	2488404	(–) 14%
2011–12	22,71528	2139428	(+) 6%

उपरोक्त तालिका के अवलोकन पर यह पाया गया कि गत वर्ष की तुलना में अगले वर्ष में अपने स्त्रोतो से प्राप्त आय में वर्ष 2009–10 में 74% वृद्धि हुई जबकि 2010–11 में आय में 14% कमी दर्ज की गई तथा वर्ष 2011–12 में आय में मामूली 6% वृद्धि हुई जिससे यह स्पष्ट है कि नगर परिषद प्रशासन अपने आय के स्त्रोतों को बढ़ाने का प्रयत्न नहीं कर रहा है। अतः नगर परिषद प्रशासन को यह परामर्श दिया जाता है कि वह अपने आय के स्त्रोतों को बढ़ाने का प्रयत्न करें ताकि विकास कार्य प्रभावित न हों।

5.3 ₹27.16 लाख की बकाया राशियों की वसूली हेतु कार्यवाही न करनाः–

उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31.3.12 को ₹27,16,189/–की राशि गृह कर, दुकानों के किराये एवं मोबाईल टावर फीस के रूप मे वसूली जानी शेष थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	शीर्ष	31.3.12 को बकाया राशि	टिप्पणी
1	गृह कर	890035	परिशिष्ट "C" में वर्णित
2	दुकानों एवं भवनों का किराया	1698154	परिशिष्ट "D" में वर्णित
3	मोबाईल टावर फीस	128000	परिशिष्ट "E" में वर्णित
	कुल योग	**27,16,189**	

निदेशक शहरी विकास विभाग (हि0प्र0) के पत्र संख्या ULB-H(A)-1/87-9237-9284 दिनांक 20.6.01 के अनुसार गृह कर एवं अन्य करों की 100% वसूली करने के निर्देश दिये गये थे तथा विफलता पर सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जाना था। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी द्वारा उक्त पत्र के दिशा–निर्देशों एवं हि0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियमों की अनुपालना नहीं की गई थी अन्यथा दिनांक 31.3.12 को इतनी अधिक राशि वसूली योग्य शेष न रहती। अतः यह परामर्श दिया जाता है कि बकाया राशियों के अविलम्ब वसूली हेतु समुचित पग उठाये जाये ताकि नगर परिषद के विकास कार्य प्रभावित न हो।

5.4 निर्धारित दरों पर गृह कर की मांग न करने के कारण राशि ₹5.45 लाख की वित्तीय हानि बारेः–

निदेशक शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या UD-H(C)(10)-7/98-II दिनांक 17.11.03 के अनुसार वर्ष 2007–08 से गृह कर की मांग 12.5% की दर से की जानी अपेक्षित थी परन्तु अभिलेख की जांच उपरान्त यह पाया गया कि वर्ष 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 में गृहकर की मांग उपरोक्त दरों के अनुसार नहीं की गई जिस कारण नगर परिषद निधि को राशि ₹5,44,740/–की वित्तीय हानि हुई जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	जिस दर पर मांग की गई	मांग की गई राशि	जिस दर पर मांग की जानी थी	जितनी मांग की जानी थी	अन्तर को राशि
2009–10	7.5%	272370	12.50%	453950	181580
2010–11	7.5%	272370	12.50%	453950	181580
2011–12	7.5%	272370	12.50%	453950	181580
				कुल योग	**544740**

अतः उक्त पत्र के अनुसार गृह कर की मांग न करके कम वसूली करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये।

5.5 गृह कर की बकाया राशि पर 10% की दर से सरचार्ज की राशि ₹0.89 लाख की वसूली न करनाः–

निदेशक शहरी विकास विभाग (हि0प्र0) के पत्र संख्या UD-H(B)(15)-4/99 दिनांक 26.06.03 के अनुसार चालू वर्ष के गृह कर का बिल जारी करने उपरान्त यदि 10 दिनों के भीतर कर की राशि जमा नहीं करवाई जाती तो बकाया राशि पर 10% की दर से सरचार्ज निर्धारित किया जाना अपेक्षित था। अभिलेख की जांच उपरान्त यह पाया गया कि नगर परिषद प्रशासन द्वारा निर्धारित समय पर कर न चुकाने पर बकाया राशि पर 10% की दर से सरचार्ज नहीं लगाया था जिस कारण नगर परिषद निधि को दिनांक 31.3.12 को गृह कर की बकाया राशि पर 10% की दर से कम से कम ₹89004/–की वित्तीय हानि उठानी पड़ी। अतः सरचार्ज न लगाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा समय पर गृहकर न चुकाने वाले गृह करदाताओं की बकाया राशि पर नियमानुसार सरचार्ज निर्धारित किया जाना सनिश्चित किया जाए।

5.6 गृह कर की नई निर्धारण सूची तैयार न करनाः–

गृह कर से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच उपरान्त यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वर्ष 2003–04 से गृह कर की Assessment नहीं की गई थी अर्थात नगर परिषद द्वारा गृह करदाताओं से वर्ष 2003–04 की Annual Rental Value पर ही गृह कर अधिरोपित करके वसूला जा रहा है। अतः वर्ष 2003–04 से 2011–12 तक गृहकर की नई निर्धारण सूची तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 77 के अनुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाये तथा की गई कार्यवाही से अकेंक्षण को अवगत करवाया जाये।

5.7 बिना Assessment के गृह का निर्धारण करके गृह कर की कम मांग करने बारेः–

अंकेक्षण अवधि मे ंपाया गया कि गृहकर का निर्धारण हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 65 व 2 की उपधारा (1) की clause (C) के अनुसार नहीं किया गया। इसके निर्धारण में नगर परिषद द्वारा आवास का वार्षिक मूल्य गृहकरदाता द्वारा स्वयं के मकान को घोषित मूल्य के आधार पर आंका गया जबकि इसका मूल्य नगर परिषद के किसी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित करना अपेक्षित था तथा इस निर्धारित लागत के अनुसार ही गृह

कर गणना की जानी अपेक्षित थी। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी इस बारे उचित कार्रवाई हेतु आपत्ति उठाई गई थी लेकिन नगर परिषद के अधिकारियों ने इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की। अतः गृहकर का निर्धारण नगर परिषद के किसी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित वार्षिक मूल्य पर लगाना सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5.8 पट्टा अवधि व अनुबन्धों का नवीनीकरण न करने बारेः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट "F" अनुसार नगर परिषद की दुकानों को किराये मे देने क लिए जो अनुबन्ध किए थें उनकी अवधि काफी वर्ष पूर्व समाप्त हो चुकी थी लेकिन इनके नये अनुबन्ध या नवीनीकरण अंकेक्षण की समाप्ति तक नहीं किया गया जिसके कारण किराएदारों से किराए की पूर्व राशि की वसूली नहीं की गई जिससे नगर परिषद को प्रतिवर्ष लाखों रूपये को हानि उठानी पड़ी। अतः नगर परिषद की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है कि सभी दुकानों का किराया बढ़ाकर नये अनुबन्ध किए जाए तथा समस्त अनुबन्धों का रिकार्ड एक रजिस्टर में क्रम बद्ध तरीके से रखा जाए। इसकी अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5.9 कम किराया निर्धारण के कारण राशि ₹2.27 लाख प्रतिवर्ष की हानि बारेः—

नगर परिषद नगरोटा बगवां द्वारा कुछ एक दुकानों का किराया बहुत ही कम जैसे कि ₹120/—, ₹150/—प्रतिमाह आदि निर्धारित किया हुआ था जबकि दूसरी तरफ ₹20/—की दर से प्रतिदिन प्रति रहेड़ी/फड़ी की दर से तहबाजारी वसूली जा रही है जिसकी मासिक दर 20x30=₹600/— प्रतिमाह बनती है जिससे स्पष्ट है कि दुकानों का किराया बहुत ही कम निर्धारित किया गया है यदि तहबाजारी को आधार मानकर प्रति दुकान का न्यूनतम किराया ₹600/— माना जाये तो नगर परिषद को प्रतिवर्ष कम किराया निर्धारण के कारण ₹227100/—की वित्तीय हानि उठानी पड़ रही है जिसका पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "E" पर दिया गया है।

अतः यह परामर्श दिया जाता है कि दुकानों का न्यूनतम किराया कम से कम तहबाजारी के बराबर प्रतिमाह ₹600/—निर्धारित किया जाए ताकि नगर परिषद की आय को बढ़ाया जा सके।

5.10 नियमानुसार लीज राशि ₹1.66 लाख की वसूली न करने बारेः—

नगर परिषद द्वारा दिनांक 24.2.10 को विश्राम गृह/सामुदायिक भवन, अवधि 1.4.10 से 31.3.13 तक कुल तीन वर्षों के लिए राशि ₹4,05,000/— में श्री विनोद मेहरा निवासी नगरोटा बगवा को लीज पर दिया गया। अनुंबन्ध पत्र की शर्त 6 के अनुसार ठेकेदार ने लीज की कुल राशि का आधा भाग ₹2,02,500/— G8 सं 19/18 दिनांक 26.3.10 को नगर

परिषद निधि मे जमा करवाया तथा शेष राशि ₹2,02,500/–की वसूली अनुबन्ध पत्र की शर्त नं0 7 के अनुसार 20 बराबर किस्तों में माह जून 2010 से की जानी थी। किस्त प्रत्येक माह की 10 तारीख से पहले जमा की जानी अपेक्षित थी तथा असफल रहने पर ₹50/–प्रतिदिन की दर से दण्ड/जुर्माना राशि की वसूली की जानी थी। अभिलेख की जांच उपरान्त यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा शेष लीज राशि की वसूली अनुबन्ध पत्र की शर्तों के अनुरूप नहीं की जिस कारण दिनांक 31.3.12 तक कुल राशि ₹2,18,237/–की वसूली की जानी शेष थी जिसका वर्णन इस प्रकार से हैः–

	कुल लीज राशि की शेष आधी राशि	2,02,500
(+)	समय पर किस्त जमा न करवाने के कारण माह 6/10 से 3/12 तक दण्ड राशि	+ 22,500
(–)	अंकेक्षण अवधि के दौरान एक मुश्त जमा करवाई गई राशि	
	G 8 No. 41/63 dt. 23.5.11 ₹49263	(–) 59,263
	G 8 No. 10/62 dt. 31.5.11 ₹10,000	
	दिनांक 31.3.12 के वसूली योग्य राशि	1,65,737

अतः राशि ₹1,65,737/–की वसूली हेतु अविलम्ब समुचित पग उठाये जाने सुनिश्चित किए जाये।

6 व्ययः–

6.1 आवासीय टैलीफोन/मोबाईल चार्जिस के रूप में राशि ₹24800/–का अनियमित भुगतानः–

निदेशक शहरी विकास के पत्र संख्या UD-H(C)7-19/97-II-10199-10246 दिनांक 15.9.07 के अनुसार दिनांक 1.8.07 के नगर परिषद/नगर पंचायतों के कार्यकारी अधिकारी/सचिव को आवासीय/टैलीफोन/मोबाईल चार्जिस की सुविधा इस शर्त के साथ देय थी कि सम्बन्धित ULB द्वारा इस सुविधा के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया जायेगा तथा इसका व्यय नगर परिषद निधि से वहन किया जायेगा। अभिलेख की जांच उपरान्त यह पाया गया कि नगर परिषद नगरोटा बगवां द्वारा इस तरह को कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था तथापि विभिन्न अधिकारियों द्वारा इस सुविधा का लाभ प्राप्त किया गया जिसका वर्णन निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	नाम व पद	अवधि	दर	राशि
1	श्री जगपाल ठाकुर (सचिव)	1.8.07 से 2/08	400P.M	2800
2	श्री चमन लाल (सचिव)	11/08 से 2/10	400P.M	6400
3	श्री देश राज चौधरी (का0अधि0)	2/10 से 3/12	600P.M	15600
		योग		**24800**

अतः नगर परिषद की बिना पूर्व स्वीकृति के राशि ₹24800/—के व्यय/भुगतान को नगर परिषद की निधि पर उचित प्रभार नहीं ठहराया जा सकता। अतः व्यय का नियमितीकरण परिषद की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके करना सुनिश्चित करें अन्यथा निजी व्यय मानते हुये राशि ₹24800/—की वसूली सम्बन्धित अधिकारियों से की जानी सुनिश्चित की जाये।

6.2 टैलीफोन बिल हेतु ₹100/—का अधिक भुगतान करनाः—

वाऊचर संख्या 66 दिनांक 14.5.2010 की जांच उपरान्त यह पाया गया कि नगर परिषद के कार्यालय के टैलीफोन नं0 252284 का अवधि 1.3.10 से 31.3.10 का विल ₹4011/—का था, जिसका भुगतान दिनांक 24.4.10 तक किया जाना अपेक्षित था। उक्त बिल का भुगतान निर्धारित समय पर न करके दिनांक 19.5.2010 को किया गया, जिस कारण ₹4011/—की अपेक्षा ₹4111/—का भुगतान विलम्ब शुल्क सहित करना पड़ा। अतः ₹100/—की राशि जो कि लापरवाही के कारण विलम्ब शुल्क के रूप में भुगतान की गई, उसकी वसूली उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी से करके नगर परिषद निधि मे ंजमा की जानी सुनिश्चित की जाये।

6.3 पटवारी हल्का नगरोटा बगवां को मानदेय के रूप में राशि ₹5400/— के भुगतान बारेः—

वेतन बिलों के अवलोकन पर यह पाया गया कि पटवारी हल्का नगरोटा बगवां को माह 4/09 से 3/12 तक ₹150/—प्रति माह की दर से कुल ₹5400/—का भुगतान किया गया था। इस सम्बन्ध में नगर परिषद द्वारा न ही कोई प्रस्ताव पारित किया गया तथा न ही निदेशक शहरी विकास विभाग (हि0प्र0) से स्वीकृति प्राप्त की गई थी। नगर परिषद/निदेशक शहरी विकास विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना उक्त भुगतान को नगर परिषद निधि पर उचित प्रभार नहीं ठहराया जा सकता। अतः बिना पूर्व स्वीकृति के भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा राशि ₹5400/—की वसूली उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से करके नगर परिषद निधि मे ंजमा की जानी सुनिश्चित की जाये।

6.4 राशि ₹7392/—का अनियमित भुगतानः—

माह 8/2009 के वाऊचर संख्या 5 की जांच में यह पाया गया कि कार्यालय भवन में पेंट का कार्य करवाने हेतु विभिन्न मजदूरों/पेंटर को दिनांक 1.7.2009 से 8.7.2009 तक Muster Roll पर रखा गया जिन्हें तत्कालीन प्रचलित लेबर रेट के आधार पर कुल

₹7392/–का भुगतान किया गया। उक्त कार्य करवाने हेतु न तो नगर परिषद से स्वीकृति प्राप्त की गई तथा न ही करवाये गये कार्य की प्रविष्टि माप पुस्तिका में की गई। इसके अतिरिक्त स्टॉक रजिस्टर में भी पेट की कोई भी प्रविष्टि नहीं की गई थी, जिससे स्पष्ट है कि सामग्री की प्राप्ति बिना कार्यालय में पैंट का कार्य नही करवाया जा सकता, जिस कारण राशि ₹7392/–के भुगतान को नगर परिषद निधि पर उचित प्रभार नहीं ठहराया जा सकता। अतः राशि ₹7392/–की वसूली चूककर्ताओं से की जानी सुनिश्चित की जाये।

6.5 सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना सफाई कार्य हेतु मजदूरों को रखने पर राशि ₹29812/–के भुगतान बारेः–

माह 5/2010 के वाऊचर संख्या 37 की जांच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा क्रमशः मस्ट्रोंल संख्या 1138 एवं 1139 के द्वारा कुल 9 दैनिकी मजदूरो को कुल 29 दिनों के लिये ₹29812/–(₹13862 M.R. No. 1138+ ₹15950 M.R.No. 1139) का भुगतान किया जबकि निदेशक शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या ULB-H(A)-2/95 दिनांक 27.3.02 के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार इस प्रकार की नियुक्ति को पूर्ण रूप से प्रतिबांधित किया गया था। इस नियुक्ति के सम्बन्ध में परिषद द्वारा भी प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था। अतः नगर परिषद के बिना प्रस्ताव पारित किये। सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना राशि ₹29812/–के भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करते हुये राशि ₹29812/–के अनियमित भुगतान को नियमित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6.6 परिषद की बैठक के बिना राशि ₹860/–के जलपान बिलों का भुगतान करनाः–

निदेशक शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या ULB-H(A)(7)-1/87-9237-9284 दिनांक 20.6.01 के अनुसार नगर परिषद की बैठक हेतु जलपान का प्रावधान है। वाऊचर संख्या 39 माह 5/10 की जांच में यह पाया गया कि परिषद को बैठक के बिना ही विभिन्न तिथियों को मै0 मोहिन्द्र कुमार को जलपान बिलों को भुगतान किया गया जिसका वर्णन निम्न प्रकार से हैः–

दिनांक	बिल नं0	राशि	टिप्पणी
15.3.10	NIL	160	उक्त तिथियों को नगर परिषद की बैंठक आयोजित नहीं की गई थी।
18.3.10	NIL	150	
1.4.10	NIL	150	
29.4.10	NIL	400	
	योंग	**860**	

अतः अनियमित रूप से भुगतान किये गये राशि ₹860/—की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाये।

6.7 निविदा दर से अधिक दर पर भुगतान करने के कारण ₹900/—का अधिक भुगतानः—

माह 5/2010 के वाऊचर संख्या 38 की जांच में पाया गया कि कार्यालय प्रयोग हेतु विभिन्न प्रकार/साईज की रबड़ स्टैंप बनाने हेतु मै0 पैराडाईस इन्टरप्राईजिज नगरोटा बगवां को उनके बिल नं0 101 दिनांक 20.3.10 हेतु ₹3290/—का भुगतान किया गया जबकि कोटेशन के आधार पर निर्धारित दरों के अनुसार कुल ₹2360/—का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। अतः अधिक भुगतान की गई राशि ₹3290—₹2360=₹930/—की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाये।

6.8 निर्धारित तिथि के उपरान्त समाचार पत्र में विज्ञापन के प्रकाशन पर ₹6000/—के भुगतान बारेः—

माह 5/2010 के वाऊचर सख्या 67 की जांच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा मै0 हिमाचल केसरी, धर्मशाला को टैडर नोटिस के विज्ञापन के प्रकाशन हेतु दिया गया था। टैंडर खुलने की तिथि 12.4.10 निर्धारित की गई थी, परन्तु उक्त समाचार पत्र द्वारा, विज्ञापन का प्रकरण, टैंडर खुलने की निर्धारित तिथि के बाद दिनांक 18.4.10 को किया गया, जिस हेतु मै0 हिमाचल केसरी, धर्मशाला को बिल नं0 8 दिनांक 1.4.10 ₹3600/—तथा बिल नं0 11 दिनांक 10.4.10 ₹2400/—अर्थात कुल ₹6000/—का भुगतान किया गया। अतः निर्धारित तिथि/टैंडर खुलने के बाद समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के लिये भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा राशि ₹6000/—की वसूली उचित स्त्रोत सें करके नगर परिषद निधि में जमा की जानी सुनिश्चित की जाये।

6.9 बिल में से आयकर की राशि ₹110/—की कटौती न करनाः—

माह 5/2010 वाउचर संख्या 63 (i) की जांच में पाया गया कि ठेकेदार विकास पुरी द्वारा रेत बजरी आदि की आपूर्ति हेतु प्रस्तुत बिल संख्या शून्य दिनांक 11.5.10 ₹5500/—का भुगतान सम्बन्धित ठेकेदार को बिना आयकर की कटौती के, पूर्ण राशि अर्थात ₹5500/—का किया गया जबकि वाउचर संख्या 63 (ii) के अनुसार ₹110/—का आयकर उपरोक्त बिल हेतु PNB बैक में जमा करवाया गया था जिससे स्पष्ट है कि ठेकेदार के बिल में से आयकर की

कटौती किये बिना ही नगर परिषद निधि से ₹110/—का आयकर जमा करवाया गया, जिसकी वसूली चूककर्ताओं से की जानी सुनिश्चित की जाये।

6.10 चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का भुगतान करने बारेः—

चयनित महीनों के भुगतान वाउचरों की जांच में यह पाया गया कि कुछ एक कर्मचारी यद्यपि वेतन के साथ निर्धारित चिकित्सा भत्ता प्राप्त कर रहे थे तथापि उनको चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का भुगतान भी किया गया था जिनका वर्णन निम्न प्रकार से हैः—

वा0सं0 एव माह	कर्मचारी का नाम	पर्ची/बिल की दिनांक	राशि	टिप्पणी
54/5—2010	श्री अरूण कुमार (स0नि0)	15.6.09	483	OPD
54/5—2010	श्री विनोद कुमार (II) बेलदार	6.3.10	488	OPD
		योग	**971**	

अतः नियमों के विपरीत चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को बाह्य रोगी (OPD) के लिये किये भुगतान की वसूली करके नगर परिषद निधि मे जमा की जानी सुनिश्चित की जाये।

6.11 राशि ₹5600/—के अनियमित भुगतान बारेः—

चयनित महीनों के भुगतान वाउचरों एवं रोकड़ वही के अवलोंकन पर यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा बैंठक कक्ष के उद्घाटन एवं सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह हेतु जलपान इत्यादि पर कुल ₹5600/—का व्यय किया गया जिसका वर्णन निम्न प्रकार से हैः—

वा0सं0/दिनांक	बिल नं0	दिनांक	राशि	जिसको भुगतान किया गया
85 5/2010	492, 498, 500	22.5.10	3075	M/S Tilak Sweets NGB
do	-NIL-	-NIL-	940	Sh. Mohinder Kumar NGB
36 3.6.11	370	24.5.11	1000	M/S Tilak Sweets NGB
do	-NIL-	-NIL-	585	Sh. Mohinder Kumar NGB
		योग	**5600**	

निदेशक शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या ULB-H(A)(7)-1/87-9237-9284 दिनांक 20.6.01 के दिशा–निर्देशों अनुसार, उपरोक्त खर्च हेतु निदेशक शहरी विकास विभाग, शिमला की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त करनी अपेक्षित थी। अतः सक्षम अधिकारी की पूर्ण स्वीकृति के बिना राशि ₹5600/–के भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा राशि ₹5600/–की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद निधि मे ंजमा की जानी सुनिश्चित की जाये।

6.12 स्ट्रीट लाईट की खरीद पर ₹1000/–का अधिक भुगतान करने बारेः–

वा0सं0 48 दिनांक 5.5.2010 की जांच पर यह पाया गया कि मै0 नीरज ट्रेडर्ज नगरोटा बगवां से बजाज ब्रान्ड की 10 नं0 (Ten) स्ट्रीट लाईट बिल नं0 2080 दिनांक 18.2.10 के द्वारा ₹750/–प्रति स्ट्रीट लाईट की दर पर क्रय की गई थी परन्तु नगर परिषद द्वारा उक्त मद हेतु ₹650/–प्रति स्ट्रीट लाईट की दर अनुमोदित की थी। अतः मै0 नीरज ट्रेडर्ज को 10 स्ट्रीट लाईट की खरीद हेतु ₹100/–(750–650=100) की दर से अधिक भुगतान को गई कुन राशि ₹1000/–की वसूली उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से करके नगर परिषद निधि मे ंजमा की जानी सुनिश्चित की जाये।

6.13 राशि ₹7821/–के कालातीत हो चुके चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का भुगतान करनाः–

जांच उपरान्त यह पाया गया कि कुछ एक कर्मचारियों को कालातोत हो चुके चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वाउचर/माह	कर्मचरी का नाम	पर्ची अनुसार बिमारी की अवधि	कार्यालय में बिल जमा करवाने की तिथि	राशि	टिप्पणी
52 5/2010	श्रीमति विजय वर्मा (लाई0सहा0)	19.2.09 से 21.4.09 (पुत्रो)	5/2010	1356	बिल तीन महीनों की निर्धारित समय अवधि के बाद कार्यालय मे जमा करवाये गये।
		19.2.09 से 21.4.09 (स्वयं)	5/2010	824	
		1.12.08 से 15.6.09 (स्वयं)	5/2010	770	
		29.10.09 से 29.11.09 (बेटा)	5/2010	519	
		28.10.09 से 16.12.09 (स्वयं)	5/2010	363	
51 5/2010	श्री बलवीर सिंह (क0अ0)	10.2.09 (बेटा)	5/2010	542	
		19.08.2008 (बेटा)	5/2010	1868	
		30.3.10 (बेटा)	5/2010	1579	पर्ची उपलब्ध नहीं थी।
			योग	**7821**	

अतः उपरोक्त विवरणानुसार ₹7821/-की वसूली सम्बन्धित कर्मचरियों से की जानी सुनिश्चित की जाये।

6.14 स्थानीय यात्रा एवं विविध भतो के रूप में अधिक भुगतान की गई राशि ₹0.11 लाख की वसूली बारेः-

वेतन बिलों के अवलोकन पर यह पाया गया कि विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को स्थानीय यात्रा एवं विविध भत्ता ₹100/-प्रति माह की दर से दिया गया था जबकि उप सचिव वित्त विनियम हिमाचल प्रदेश सरकार के ज्ञापन संख्या फिन-(7)-7/89 दिनांक 2.10.9 के अनुसार उक्त भत्ता ₹50/-प्रतिमाह की दर से दिया जाना अपेक्षित थां। विभिन्न चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अधिक यात्रा में दिये गये भत्ते का वर्णन निम्न प्रकार से हैः-'

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम/पदनाम	अवधि	वसूलो योग्य दर (100-50=50)	वसूली योग्य कुल राशि	टिप्पणी
1	श्रीमति कृष्णा देवी (स0क0)	1.4.09 से 31.5.10	50/-PM	700	Retiredon 31.5.10
2	श्री उदय वीर सिंह (स0क0)	1.4.09 से 31.3.12	50/-PM	1800	Retiredon 31.5.10
3	श्रीमति इन्दिरा देवी (स0क0)	1.4.09 से 31.3.12	50/-PM	1800	Retiredon 31.5.10
4	श्रीमति बिमला देवी (स0क0)	1.409 से 31.3.12	50/-PM	1800	Retiredon 31.5.10
5	श्री सैनी कुमार (स0क0)	1.4.09 से 31.3.12	50/-PM	1800	Retiredon 31.5.10
6	श्री अरूण कुमार (स0क0)	1.4.09 से 14.5.11	50/-PM	675	Expired on 14.5.11
7	श्री मुश्ताफ (स0क0)	1.4.09 से 31.3.12	50/-PM	1800	
8	श्री राज कुमार (स0क0)	1.4.09 से 29.5.09	50/-PM	100	Expired on 29.5.09
9	श्री गोपाल (स0क0)	11/10 से 3/12	50/-PM	850	Reguler on 1.11.10
			योग	**11325**	

अतः अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाये।

6.15 यात्रा भत्ता दावा बिलों से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करनाः-

चयनित महीनों के भुगतान वाऊचरों की जांच में यह पाया गया कि नगर परिषद को विभिन्न कर्मचारियों को यात्रा भत्ता दावा बिलों का भुगतान किया गया था, परन्तु किये गये भुगतान की सत्यता की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे कि कार्यालय आदेश, Tour Diary, T.A. Check Register आदि अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये। भुगतान किये गये यात्रा भत्ता दावा बिलों का विवरण निम्न प्रकार से हैः-

वा0सं0	माह	कर्मचारी का नाम	अवधि	राशि
15	8/09	श्री प्रीतम चन्द	10.6.09 से 31.7.09	316

16	8/09	श्री मनोज कुमार	10.7.09 से 29.7.09	680
37	5/10	श्री अशोक कुमार	15.3.10 से 28.4.10	480
37	5/10	श्री बलवीर सिंह	13.1.10 से 26.4.10	1718
37	5/10	श्री अमन कुमार	2.4.10 से 27.4.10	1142

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान भुगतान किये गये समस्त यात्रा भत्ता दावा बिलों को T.A. Check Register में कर्मचारी वार दर्ज किया जाये ताकि दोहरे भुगतान की सम्भावना से बचा जा सके तथा अन्य वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किये जायें ताकि भुगतान की सत्यता की पुष्टि की जा सके।

6.16 वाऊचर संख्या 224 दिनांक 08.09.2010 राशि ₹6243/–

उपरोक्त वाऊचर के अन्तर्गत अखबारों व मैगजीन इत्यादि के बिलों का भुगतान निम्न विवरणानुसार किया गया।

क्र0सं0	बिल सं0	दिनांक	राशि
1	12/P/09-N68050	30.09.2009	680.50
2	12/P/3-N462750	31.3.2010	673.00

उपरोक्त बिलों की जांच पर पाया गया कि दोनों बिलो के अन्तर्गत माह 9/09 व 3/10 के लिये 5 इंडियां टुडे मैगजीन का भुगतान किया गया है जबकि माह 9/09 व 3/10 से सम्बन्धित लाईब्रेरी रजिस्टर की जांच पर पाया गया कि सम्बन्धित महीनों में केवल 3 इंडियां टुडे मैगजीन ही प्राप्त हुई। इस प्रकार माह 9/09 व 3/10 से सम्बन्धित बिलो में ₹15/–प्रति मैगजीन की दर से दो अतिरिक्त इंडिया टुडे मैगजीन का भुगतान किया गया है। अतः अधिक भुगतान की गई राशि ₹30/–की वसूली दोषी से करनी सुनिश्चित की जाए व भविष्य में अखबारों व मैगजीन से सम्बन्धित जितनी प्रतियॉ (copies) प्राप्त हो उनका ही भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए।

6.17 अधिक साईज में विज्ञापन छपवाने तथा राशि ₹3238/–के भुगतान बारेः–

वाऊचर संख्या 80 दिनांक 24.05.2010 के अन्तर्गत राशि ₹4999/–का भुगतान अमर उजाला पब्लिकेशन धर्मशाला को समाचार पत्र में छपवाये गये टैंडर नोटिस (साईज 20.97x16.00=335.52) हेतु किया गया। अभिलेख की जांच उपरान्त निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई।

कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नगरोटा बगवां के पत्र संख्या 35/358/MCNB दिनांक 01.05.2010 द्वारा राशि ₹5000/–के उपरोक्त टैंडर नोटिस को छपवाने के लिये आदेश दिया गया। अभिलेख की जांच में पाया गया कि उक्त टैंडर नोटिस इससे आधे साईज में छपवाया जा सकता था। अतः अधिक साईज (335.52÷2=167.76CM2) हेतु 167.76X14.

90=₹2499.62की राशि का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली दोषी से करनो सुनिश्चित की जाए।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त टैंडर नोटिस को छपवाने के लिये ₹14.90/–प्रति सैटी मीटर की दर सक भुगतान किया गया जबकि उक्त टैंडर नोटिस हेतु ₹2.20/–प्रति सैटींमीटर की दर सक एजेंसी डिस्काऊंट (15%) राशि ₹2.2x335.52=₹738.14 क्लेम नहीं किया गया जिसे दोषी से वसूलना सुनिश्चित किया जाए।

7 संस्थापनाः–

7.1 पदों की स्वीकृति के बिना कर्मचारियों की नियुक्ति करनाः–

उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार परिशिष्ट "G" नगर परिषद में कुछ एक अनुबन्धित/दैनिक भोगी कर्मचारी जिन पदों के विरूद्ध कार्य कर रहे है। वह पद नगर परिषद में स्वीकृति नहीं है। अतः पदों की स्वीकृति के बिना अनुबन्धित/दैनिक वेतन भोगियों की नियुक्ति का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इनकी नियुक्ति को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति करवा कर नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये। पदों की स्वीकृति के बिना कार्य कर रहे कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	नियुक्ति की दिनांक
1	श्री अमित कुमार	चालक	9/1998 (दैनिक भोगी)
2	श्री अमर सिंह	बेलदार	12/1996 (दैनिक भोगी)
3	श्री राज कुमार	बेलदार	01/1999 (दैनिक भोगी)
4	श्री विनय कुमार	बेलदार	4/2001 (अनबन्ध पर)

7.2 स्थापना पर राशि ₹62.12/–लाख का अनियमित व्ययः–

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या ULB-H(A)(7)-1/87-9237-9284 दिनांक 20.6.2001 के अनुसार नगर परिषद का संस्थापना व्यय, कुल व्यय के 1/3 भाग से अधिक नहीं होना चाहिये। जांच में यह पाया गया कि नगर परिषद प्रशासन द्वारा उपरोक्त पत्र के दिशा निर्देशों की अनुपालना नहीं की गई, जिस कारण अवधि 1.4.09 से 31.3.12 तक संस्थापना पर राशि ₹62,12,141/–का व्यय अनियमित रूप से किया गया जिसका वर्णन निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	कुल व्यय	स्थापना पर अपेक्षित व्यय	संस्थापना पर किया गया व्यय	अधिक व्यय

2009–10	78,94,615	26,31,538	50,42,526	24,10,988
2010–11	1,06,09,385	35,63,128	63,41,489	27,78,361
2011–12	1,67,03,718	55,67,906	65,90,698	10,22,792
			योग	**62,12,141**

अतः उपरोक्त पत्र की अनुपालना न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अनियमित रूप से व्यय की गई राशि ₹62,12,141/–को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियमित किया जाये।

7.3 लाईसैंस फीस की राशि ₹1007/–की कम वसूली करनाः–

नगर परिषद द्वारा श्री उदयवीर सिंह (स0क0) को एक कमरे का आबंटन किया गया था, जिस हेतु लाईसैंस फीस की वसूली ₹53/–प्रतिमाह की दर से की गई थी जबकि नियमानुसार माह सितम्बर 2010 से लाईसैंस फीस की वसूली ₹106/–प्रति माह की दर से की जानी अपेक्षित थी। कम वसूल की गई राशि ₹1007/–का वर्णन निम्न प्रकार से हैः–

9/10 से 3/12 तक वसूली योग्य राशि (19x106=2014)	2014
9/10 से 3/12 तक वसूल की गई राशि (19x53=1007)	(–)1007
कम वसूल की गई राशि	1007

अतः राशि ₹1007/–की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके नगर परिषद निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8 पैंशन/उपदान, अंशदायी पैंशन एवं सामान्य भविष्य निधि :–

8.1 पंन्शन एवं उपदान फण्ड में नियमानुसार अंशदान न करनाः–

पैंन्शन तथा उपदान की अधिसूचना संख्या LSG-B(1)-1/79-III दिनांक 25.4.2002 के नियम 3(3) के अनुसार नगर परिषद के कुल स्वीकृत पदों के अधिकतम वेतनमान के आधार पर 12% की दर से पैंन्शन फण्ड मे तथा 5% की दर से उपदान फण्ड में अंशदान करना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण अवधि के दौरान अभिलेख की जांच में पाया गया कि केवल भरे गये पदों के विरूद्ध मूल वेतन के आधार पर उपरोक्त दरों अनुसार पैन्शन एवं उपदान निधि में अंशदान किया गया था, जबकि अंशदान रिक्त पदों+भरे गये पदों अर्थात कुल स्वीकृति पदों के विरूद्ध अधिकतम वेतन मान के आधार पर अंशदान किया जाना था। अतः पैन्शन तथा उपदान अधिसूचना के नियम 3 (3) की अवहेलना का औचित्य स्पष्ट किया जाये, अन्यथा अधिकतम वेतन मान के आधार पर कुल पदों के विरूद्ध 12% एवं 5% की दर से अंशदान की राशि की

गणना करके, अन्तर की राशि को नगर परिषद निधि से निकाल कर, पैन्शन एवं उपदान निधि में डालना सुनिश्चित किया जाए।

8.2 अंशदायी पैन्शन निधि में नियमानुसार अंशदान न करनाः—

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या FIN (PEN)(A)(3)-1/96 दिनांक 15.5.2003 के अनुसार दिनांक 15.5.2003 के उपरान्त नियमित/नियुक्त कर्मचारियों के अंशदायी पैन्शन निधि में नियुक्ति की दिनांक से, वेतन की 10% की दर से कर्मचरी तथा नगर परिषद द्वारा बराबर का अंशदान किया जाना अपेक्षित था। परन्तु अंकेक्षण अवधि के दौरान अभिलेख की जांच उपरान्त यह पाया गया कि 15.5.2003के बाद कर्मचारी के नियमित/नियुक्ति की दिनांक के एक वर्ष बाद, उक्त निधि में सम्बन्धित कर्मचारी एवं नगर परिषद द्वारा अंशदान किया गया था जो कि नियमों के विपरीत था जिसका वर्णन निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम व पदनाम	जिसमें नियमित होने पर कार्यगृहण किया	जिस माह से अंशदान किया गया
1	श्री सैनी (स0क0)	8/2007	8/2008
2	श्री अरूण (स0क0)	8/2007	8/2008
3	श्री मुश्ताक (स0क0)	10/2007	10/2008
4	श्रीमति उषा देवी (स0क0)	9/2007	9/2008
5	श्री नवजीवन (बेलदार)	8/2007	8/2008
6	श्री गुरवचन (बे0)	9/2007	9/2008
7	श्री अश्वनी (बे0)	12/2008	12/2008
8	श्रीमति विजयकुमारी (LIB Attendent)	8/2007	8/2008

अतः नियमानुसार अंशदान की गणना करके सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन में से कटौती करके तथा उसी अनुपात में नगर परिषद निधि मे ंसे राशि निकाल कर अंशदायी पैन्शन निधि मे ंजमा की जानी सुनिश्चित की जाये।

8.3 अंशदायी पैन्शन फण्ड एवं पैन्शन फण्ड को एक ही खाता सं0 20012128521 मे जमा करवाने बारेः—

जांच उपरान्त यह पाया गया कि दिनांक 15.5.2003 के उपरान्त नियमित कर्मचारियों के वेतन मे काटे गये अंशदायी पैन्शन निधि अंशदान एवं उसी अनुपात में नगर परिषद द्वारा किये गये अंशदान को, दिनांक 15.5.2003 के पूर्व नियमित कर्मचरियों के पैन्शन फण्ड के साथ सम्मिलित रूप में एक खाता संख्या 20012128521 (K.C.C. Bank) मे ंजमा करवाया जा रहा है जो कि नियमों के विपरीत है। अतः यह परामर्श दिया जाता है कि अंशदायी पैन्शन निधि के

अलग से खाता खुलवाकर, अंशदायी पैन्शन निधि की राशि की गणना करके खाता सं0 20012128521 से निकाल कर नये खातों मे ंजमा की जानी सुनिश्चित की जाये।

8.4 रोकड़ वही न लगाने बारेः– (पैन्शन एवं उपदान निधि)

चयनित महीनों के व्यय बिलों की जांच उपरान्त यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा कर्मचारियों के पैन्शन एवं उपदान निधि में 12% एवं 5% की दर से तथा अंशदायी पैन्शन निधि में 10% की दर से अंशदान किया जा रहा है परन्तु इस अंशदान हेतु अलग से रोकड़ वही नही लगाई गई थी। पैन्शन एवं उपदान तथा अंशदायी पैनशन निधि को सम्मिलित रूप में खाता संख्या 20012128521 (K.C.C.) नगरोटा बगवां में जमा करवाया जाता है, परन्तु इस खाते में जमा राशि की जांच रोकड़ वही के अभाव में नहीं की जा सकीं अतः यह सुझाव दिया जाता है कि उक्त अंशदान के लिये अलग–अलग रोकड़ वहियां प्रयोग में लाई जाए जिनका मिलान सम्बन्धित बैंक खातों से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.5 दिनांक 1.1.06 के बाद सेवा निवृत कर्मचरियों की पैन्शन में संशोधन करने बारेः–

अभिलेख की जांच उपरान्त यह पाया गया कि दिनांक 1.1.06 के बाद, एवं संशोधित पैन्शन नियम लागू होने से पहले, सेवा निवृत हुये कर्मचारियों की पैन्शन का पुनः निर्धारण, 1.1.06 से पहले की कर्मचारियों की तरह Pension fitment table के अनुसार किया गया था एवं तदानुसार ही पैन्शन भोगियों को पैन्शन का भुगतान किया जा रहा है, जबकि निदेशक शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या UD-H(B)(10)-1/86-IV-18807-56 दिनांक 22.1.10 के अनुसार दिनांक 1.1.06 के बाद सेवा निवृत कर्मचारियों एवं पैन्शन संशोधित वेतन मान 2009 के अनुसार संशोधित की जानी अपेक्षित थी। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि दिनांक 1.1.06 से 31.1.10 के दौरान सेवानिवृत कर्मचारियों की पैन्शन सेशोधित वेतनमान 2009 के अनुसार पुनः तैयार करके निदेशालय को समीक्षा हेतु प्रेषित की जाए एवं निदेशालय से स्वीकृति मिलने उपरान्त सम्बन्धित कर्मचारियों की पैन्शन/उपदान/Leave Encashment/Commutation value of Pension की बकाया राशियों (यदि बनती हो) का भुगतान किया जाये जिन सेवा निवृत कर्मचारियों की पैन्शन संशोधित की जानी अपेक्षित है उनका वर्णन निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	सेवानिवृति की दिनांक
1	श्री लाला राम	बेलदार	31.3.07
2	श्री लाल चन्द	चौकीदार	30.4.07
3	श्री मोहर सिंह	मिस्त्री	30.4.08

8.6 बजट में अनुमानित आय का 1% के बराबर का शेयर पैन्शन/उपदान कोष में हस्तांन्तरित न करनाः–

चयनित महीनों के वेतन बिलों की जांच उपरान्त यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा यद्यपि कर्मचारियों के पैन्शन/उपदान निधि में 12% एवं 5% की दर से अंशदान किया जा रहा है परन्तु हि0प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या LSG-B(1)-1/79-III दिनांक 25.4.2000 के क्रम संख्या 16 के अनुसार, बजट में अनुमानित आय का 1% के बराबर का शेयर उक्त कोष में हस्तांतरित नहीं किया जा रहा, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा नियमानुसार उक्त शेयर की राशि की गणना करके, सम्बन्धित कोष मे हस्तान्तरित की जाये।

8.7 सामान्य भविष्य निधि की रोकड़ वही न लगाने बारेः–

चयनित महीनों के वेतन बिलों की जांच के दौरान यह पाया गया कि कर्मचारियों के वेतन में से काटे गये सामान्य भविष्य निधि अंशदान को प्रत्येक कर्मचारी के अलग–अलग बैंक खातों में जमा किया जा रहा है परन्तु इस अंशदान हेतु अलग से रोकड़ वही नहीं लगाई गई थी रोकड़ वही के अभाव में विभिन्न खातों मे ंजमा राशि की जांच नहीं की जा सकी। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि सामान्य भविष्य निधि अंशदान के लिये अलग रोकड़ वही प्रयोग में लाई जाये जिसका मिलान सम्बन्धित बैंक खातों से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.8 सामान्य भविष्य निधि के व्यक्तिगत बैंक खातों बारेः–

जांच में यह पाया गया कि कर्मचारियों के वेतन में से काटे गये सामान्य भविष्य निधि अंशदान को प्रत्येक कर्मचारी के अलग–अलग बैंक खातों मे ंजमा किया गया था यह बैंक खाते कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के नाम रैहन नहीं है अर्थात यह खाते पूर्ण रूप से व्यक्तिगत है जिनमें से कोई भी कर्मचारी कभी भी राशि आहरित कर सकता है जो कि सामान्य भविष्य निधि कें नियमों के विपरीत है। अतः सुझाव दिया जाता है कि सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित प्रत्येक कर्मचारी के व्यक्तिगत खातों को कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के नाम रैहन किया जाये ताकि बिना स्वीकृति के GPF की राशि को आहरित न किया जा सके।

9 निर्माण कार्यः–

9.1 सीमेन्ट/स्टील की आपूर्ति विभागीय तौर पर न करनाः–'

जांच उपरान्त यह पाया गया कि जो कार्य ठेकेदारों द्वारा निष्पादित करवाये गये, उन कार्यो हेतु सीमेन्ट/स्टील कीे आपूर्ति ठेकेदारों द्वारा स्वयं अपने स्तर पर की गई थी। ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्यो में प्रयोग किये गये सीमेन्ट/स्टील की गुणवता को प्रमाणित करने सम्बन्धी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये। यद्यपि निदेशक शहरी विकास विभाग (हि0प्र0) के पत्र संख्या UD-H(F)(10)-2/2005-9750-9800 दिनांक 5.09.05 द्वारा स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिये गये है कि सीमेन्ट एवं स्टील की आपूर्ति सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से खरीद कर, ठकेदारों को विभागीय तौर पर की जानी सुनिश्चित की जाये। अतः नगर

परिषद प्रशासन को यह परामर्श दिया जाता है कि विभिन्न ठेंकेदारों से निष्पादित करवाये गये निर्माण कार्यो की गुणवता की जांच अपने स्त्तर पर की जाये एवं भविष्य में सीमेन्ट/स्टील की आपूर्ति उपरोक्त दिये गये दिशा–निर्देशों अनुसार की जानी सुनिश्चित की जाये।

9.2 जल प्रभार की कटौती न करने के कारण राशि ₹7226/–की हानि बारेः–

चयनित महीनों के निर्माण कार्यो के बिलों की जांच में यह पाया गया कि कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा बिलो मे से जल प्रभार की कटौती नहीं की गई थी। माप पुस्तिका या अन्य अभिलेख में जल को क्रय कर के निर्माण कार्यों में प्रयोग करने सम्बन्धी कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न ठेकेदारों द्वारा जल के लिए किसी भी प्रकार का व्यय नहीं किया गया एवं जल का प्रयोग सरकारी स्त्रोतो/नल से निशुल्क किया गया। निशुल्क जल प्रयोग करने पर कार्य की कुल लागत (Gross bill)पर 1.5% की दर से जल प्रभार की कटौती की जानी अपेक्षित थी। नियमानुसार जल प्रभार की कटौती न करने के कारण नगर परिषद निधि को कुल राशि ₹7226/–की वित्तीय हानि उठानी पड़ी जिसका पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "I" पर दिया गया है। अतः नियमानुसार जल प्रभार की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा राशि ₹7226/–की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

9.3 अधिक दरों पर कार्य आबंटित करने के कारण राशि ₹43743/–का अधिक भुगतान करनाः–

नगर परिषद द्वारा दिनांक 26.11.09 को टेडर नोटिस संख्या NPNB/Tender/2009-608-615 द्वारा विभिन्न ठेकेदारों से रेत, बजरी आदि विभिन्न मदों (Items) की दरें आमन्त्रित की गई। दिनांक 7.1.10 को टैंडर खुलने पर श्री विकास पुरी, ठेकेदार की दरें, प्रत्येक मद हेतु सबसे कम पाई गई। विभिन्न मदों (Items) में से Water barn aggregate 20mm nominal size अर्थात बजरी की दर श्री विकास पुरी ठेकेदार द्वारा ₹570/–m3 भरी गई थी परन्तु उक्त ठेकेदार को उक्त मद हेतु ₹620/–m3 की दर पर कार्य का आबंटन किया गया जो कि अन्य ठेकेदारों द्वारा उक्त मद हेतु भरी गई दर ₹600/–m3 से भी अधिक है। नगर परिषद के MAS रजिस्टर एवं कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार ₹620/–m3 की दर पर कुल 874.85 m3 बजरी की आपूर्ति सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा दिनांक 31.3.12 तक की गई जिस हेतु ₹50/– m3 (620-570=50) की दर से राशि ₹43743/–का अधिक भुगतान श्री विकास पुरी ठेकेदार को करके अनुचित लाभ पहुंचाया गया जिसकी वसूलो उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद निधि मे जमा की जानी सुनिश्चित की जाये।

9.4 वाऊचर संख्या 25, माह 8/2009

कार्य का नामः– C/O Street from Shiv Temple toward Sh. Manoj Mehta House.

ठेकेदार का नामः– श्री अंकुश धीमान–I

एमबी सं0 31 पृष्ठ 50–52

अवार्ड पत्र सं0 (प्रस्तुत नहीं किया गया)

उपरोक्त वर्णित कार्य में रास्ते के बीच slab डालने हेतु ठेकेदार को मद संख्या 4, 5 एवं 6 के लिये निम्न विवरणानुसार कुल राशि ₹4674/–का भुगतान किया गया थाः–

मद सं0	मद का नाम	मात्रा	दर	राशि
4	Formwork	4.56 m3	110 m3	502
5	P/L Mild/Torsteel	61.36 Kg	42 Kg	2577
6	P/L CC 1:2:4	55 m3	2900 m3	1595
				4674

परन्तु MB की जांच उपरान्त यह पाया गया कि मद संख्या 4 ,5 एवं 6 का निष्पादन (Execution) नहीं किया गया था, क्योंकि रास्ते की कुल लम्बाई 120m हेतु मद संख्या 2 stone soling एवं मद संख्या 3, P/LCC1:2:4 की कुल मात्रा में slab के निर्माण हेतु जो Space use हुआ उसको कम नहीं किया गया था। अतः बिना काम करवाये हुये ठेकेदार को मद संख्या 4 ,5 एवं 6 के लिये किये गये भुगतान ₹4674/–की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद निधि मे जमा की जानी सुनिश्चित की जाये।

9.5 वाऊचर संख्या 26 माह 8/2009

कार्य का नामः– M/O Road from Sh. Sharbaswal House. to Sh. Kuldeep house.

ठेकेदार का नामः– श्री पुरूषोत्तम चौधरी

एम बी सं0 31 पृष्ठ 54

अवार्ड पत्र सं0 (प्रस्तुत नहीं किया गया)

उपरोक्त वर्णित कार्य के निष्पादन के दौरान सड़क (रास्ते) के बीच 15 No. चैम्बर का निर्माण करवाया गया था। प्रत्येक चैम्बर का साईज 1x1.50MM था। M.B की जांच उपरान्त यह पाया गया कि उपरोक्त कार्य की मद संख्या 3 Stone soling की कुल मात्रा मे से 15 No. चैम्बर के लिये जो Space use हुआ, उसको कम नहीं किया गया था, जिस कारण सम्बन्धित ठेकेदार को मद संख्या 3 के लिये कुल 15x1.50x1x.13=2.92m3 अधिक मात्रा के लिये ₹395/–m3 की दर से कुल ₹1154/–(395x2.92=1154) का अधिक भुगतान किया गया था, जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद निधि मे जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

9.6 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रस्ताव अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

चयनित महीनों के निर्माण बिलो/M.B की जांच उपरान्त यह पाया गया कि बिलों/टैंन्डर पर प्रस्ताव संख्या का उल्लेख नहीं था जिससे इस तथ्य की पुष्टि नहीं हो सकी कि क्या सम्बन्धित निर्माण कार्यो का आबंटन परिषद के अनुमोदन उपरान्त ही किया गया था अथवा बिना अनुमोदन के। अतः इस सम्बन्ध में परिषद प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि अपने स्त्तर पर इस तथ्य की छानबीन की जाये ताकि नगर परिषद निधि के दुरूपयोग की सम्भावना से बचा जा सके।

9.7 धरोहर राशि प्राप्त किये बिना ही राशि ₹1200/–की धरोहर राशि वापिस करनाः–

वाऊचर सख्ंया 38 दिनांक 14.6.11 के अनुसार राशि ₹1200/–का भुगतान श्री पुरूषोत्तम चौधरी ठेकेदार को R/O Path of samshan ghat in ward No. 1 कार्य की समाप्ति के उपरान्त धरोहर राशि की वापिसी के रूप मे ंकिया गया। अभिलेख की जांच उपरान्त यह पाया गया कि उपरोक्त कार्य का आबंटन सम्बन्धित ठेकेदार को धरोहर राशि प्राप्त किये बिना ही कर दिया गया था। अतः धरोहर राशि प्राप्त किये बिना ही नगर परिषद निधि से ठेकेदार को भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा ₹1200/–की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद निधि में जमा की जानी सुनिश्चित की जाये।

9.8 निर्माण कार्यो के अभिलेख के रख रखाव बारेः–

चयनित महीनों के निर्माण कार्यो के बिलों/माप पुस्तिकाओं (M.B) की जांच उपरान्त निर्माण कार्यो के अभिलेख के रख रखाव में निम्न आपत्तियां पाई गईः–

(i) M.B. में कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक का न होना।

(ii) M.B. में कार्य समाप्ती की दिनांक का न होना।

(iii) कार्य की पैमाईश (Measurement) की दिनांक की प्रविष्टि M.B. में न होना।

(iv) M.B. में अवार्ड पत्र संख्या की प्रविष्टि न करना।

(v) वर्क रजिस्टर तैयार न करना।

(vi) ठेकेदारों के साथ अनुबन्ध न करना।

(vii) एक कार्य के अवार्ड पत्र टैंडर फार्म Estimate Drawing इत्यादि को एक फाईल में इकट्ठा न रखकर अलग–अलग रखना।

(viii) टैंडर फार्म पर सम्बन्धित ठेकेदारों का रजिस्टर लाईसैंन्स नं0/पत्र का संलग्न न होना।

(ix) बेचे गये टैंन्डर फार्म पर G8 नं0 अंकित न करना।

(x) व्यापक प्रचार हेतु विज्ञापन/नोटिस का उपलब्ध न होना।

अतः नियमानुसार अभिलेख का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

9.9 राशि ₹1600/– (4 बैग सीमेन्ट) की वसूली बारेः'–

सीमेन्ट में भण्डार रजिस्टर के पेज संख्या 33 की जांच करने पर पाया गया कि "Construction of Drain" कार्य हेतु 13 बैग सीमेन्ट के जारी किए गए जबकि वास्तव में उपरोक्त कार्य हेतु माप पुस्तिका 30 पेज संख्या 67 पर 17 बैग सीमेन्ट जारी किए गए इससे प्रतीत होता है कि 4 बैग सीमेन्ट का कार्य फर्जी दिखाया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा 4 बैग सीमेन्ट हेतु ₹400/–प्रति बैग की दर से (दोगुना रेट पर) राशि ₹1600/–दोषी से वसूलना सुनिश्चित किया जाए व कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.10 स्टॉक से सीमेन्ट के 764 बैग खारिज करने बारेः–

सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर की जांच उपरान्त यह पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न तिथियों को, कुल 764 बैग सीमेन्ट, विभिन्न निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु स्टॉक रजिस्टर से खारिज किये गये थे परन्तु सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर में न तो प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर तथा न ही माप पुस्तिका (M.B) के पृष्ठ अंकित किये गये थे, जिसके अभाव में खारिज किये गये सीमेन्ट की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती। अतः सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर में सीमेन्ट को प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर एवं M.B के पृष्ठ अंकित किये जाये ताकि खारिज किए गए सीमेन्ट की सत्यता की पुष्टि की जा सके। अन्यथा खारिज किये गये 764 बैग सीमेन्ट की वसूली issue Rate से दोगुनी दरों पर की जानी सुनिश्चित की जाये। खारिज किये गये सीमेन्ट का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

दिनांक	**खारिज सीमेन्ट के बैग**	**दिनांक**	**खारिज सीमेन्ट बैग**	**दिनांक**	**खारिज सीमेन्ट बैग**
8.4.09	4	9.9.09	25	16.12.09	31
16.4.09	4	18.9.09	25	26.12.09	14
15.5.09	16	23.9.09	25	2.2.10	09
1.6.09	4	23.10.09	10	19.3.10	06
17.6.09	60	23.10.09	16	19.3.10	20
17.6.09	3	12.11.09	25	2.6.10	225
19.8.09	4	18.11.09	25	2.6.10	75
20.8.09	1	1.12.09	6	2.6.10	15
28.8.09	50	7.12.09	10	9.6.10	10

26.12.09	6	9.6.10	40
		योग	**764 बैग**

गाड़ियॉ

10 गाड़ियों की औसत तेल खपत की गणना माहवार न करने के कारण राशि ₹1.35 लाख की वितीय हानि बारेः—

गाड़ियों की लॉग बुक की जॉच उपरान्त यह पाया गया कि परिषद द्वारा गाडियों की औसत तेल खपत की गणना माहवार नहीं की गई थी। अंकेक्षण द्वारा नगर परिषद की विभिन्न गाड़ियों की अवधि 1.4.09 से 31.3.12 तक औसत तेल खपत की गणना करने उपरान्त यह पाया गया कि गाड़ियों की औसत तेल खपत निर्धारित औसत तेल खपत से कम है, जिस कारण 1.4.09 से 31.3.12 तक डीजल एवं पैट्रोल के लिये राशि ₹1,35,188/—का अधिक भुगतान करना पड़ा जिसका वर्णन निम्न प्रकार से हैः—

वाहन सं0	1.4.09 से 31.3.12 तक तय की गई दूरी	1.4.09 से 31.3.12 तक used तेल	औसत तेल खपत	निर्धारित तेल खपत	अधिक प्रयोग किया गया तेल
HP40-7770	37324 Km.	12525 Lt. (DSL)	2.98KM/Ltr	3.85 Km/Ltr.	2830 Lt. (DSL)
HP40-4770	14626Km.	1642 Ltr. (Pol)	8.90Km/Ltr.	10.29 Km/Ltr.	221 Ltr. (Pol)
HP.40B-5499 (30.8.10 to 31.3.12)	18097 Km	2910 Ltr (DSL)	6-22Km/Ltr.	6.50 Km/Ltr.	126 Lt. (DSL)
				योग	**3177Ltr.**

अतः निर्धारित औसत तेल खपत से कम तेल औसत खपत का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अधिक मात्रा में प्रयोग किये गये डीजल 2956 ली0 (2830+126) एवं 221 ली0 पैट्रोल हेतु वर्तमान दरो पर क्रमशः 1,19,718/—एवं 15470/—अर्थात कुल ₹1,35,188/—की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाये।

11 भण्डारः—

11.1 प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारेः—

अंकेक्षण अवधि के दौरान यह पाया गया कि भण्डार मे पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया था जबकि नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के नियम 244 के अनुसार, समस्त परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना अपेक्षित है। अतः नियम 244

के अनुसार भण्डार मे पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायें।

11.2 स्थाई वस्तुओं का अन्तशेष श्न्य दर्शाने बारेः–

स्टॉक रजिस्टरों की जांच उपरान्त यह पाया गया कि कुछ एक स्थाई वस्तुओं के अन्तशेष को शून्य दर्शाया गया था जबकि नियमानुसार स्थाई वस्तुओं का अन्तशेष तभी कम किया जाना चाहिये जब वास्तव में स्थाई वस्तु अनुपयोगी घोषित करने उपरान्त नीलाम/नष्ट कर दी जाये। उदाहरण के तौर पर Misc. Stock Reg. No. 3 के पृष्ठ 51 एवं 49 पर क्रमशः टेबल एवं Fire Extiunger को कार्यालय में प्रयोग करने उपरान्त उपरोक्त वस्तुओं का अन्त शेष शून्य दर्शाया गया था। अतः विभागीय तौर पर स्टॉक की मात्रा को सही करने उपरान्त भविष्य में स्टॉक रजिस्टरो का रख रखाव नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

विविधः–

12 महत्वपूर्ण रजिस्टरों का प्रयोग न करने बारेः–

जांच के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अभिलेख के रख–रखाव हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण रजिस्टर नहीं लगाये गये हैः–

(i) Security Register
(ii) Earnest Money Register
(iii) Grant-In-Aid Register
(iv) Tender Register
(v) House Tax Assessment Register
(vi) Property Register
(vii) ECR of working Employes
(viii) ECR of Pensiners
(ix) Classified Abstract of Income and Expenditure Register
(x) T.A Check Register

उपरोक्त रजिस्टरों के अभाव में महत्वपूर्ण सूचनाओं का पता लगाना मुश्किल ही नहीं अपितु असम्भव है। इन रजिस्टरों के अभाव में नगर परिषद को भारी नुकसान होने की भी आशंका हैं अंकेक्षण अधियाचना संख्या RS (Audit)2012/56 दिनांक 7.5.12 द्वारा इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया लेकिन इस सम्बन्ध में अंकेक्षण समाप्ति तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

13 अग्रिमः–

अभिलेख की जांच उपरान्त यह पाया गया कि दिनांक 31.3.12 को ₹28000/–की राशि विभिन्न कर्मचारियों के नाम समायोजन हेतु शेष पड़ी थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

दिनांक	नाम	राशि	उद्देश्य
27.3.12	श्री बलवीर सिंह J.E	3000	बिजली मुरम्मत हेतु
17.6.11	श्री जोगिन्द्र सिंह J.E	10,000	कार्यालय फर्नीचर की मुरम्मत
22.7.11	श्री जोगिन्द्र सिंह J.E	15,000	टाईलज वर्क के भुगतान हेतु
	योग	**28,000**	

उपरोक्त अग्रिम राशियों की वसूली/समायोजन हेतु अविलम्ब समुचित कार्यवाही अम्ल में लाई जाये।

14 लधु आपत्ति विवरणिकाः–

विभिन्न कर्मचारियों को गलत वेतन निर्धारण के कारण किये गये अधिक भुगतान कुल ₹2322/–की वसूली सम्बन्धित कर्मचरियों के माह 3/12 देय माह 4/12 के वेतन बिलों से मौके पर ही कर ली गई तथा सेवा पजिकाओं में अधिक जमा किये गये कुल 30 दिनों के अर्जित अवकाश को मौके पर सेवा पंजिकाओं से कम किया गया। अतः लधु आपत्ति विवरणिका को अलग से जारी नही किया गया।

15 निष्कर्षः–

नगर परिषद के लेखों का रख–रखाव नियमानुसार/निर्धारित प्रपत्रों/रजिस्टरों पर नहीं किया जा रहा है। अतः लेखाओं के रख–रखाव में अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है।

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश,शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15) V 53/75 खण्ड–2–6695–6696 दिनांक27.08.2012, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत

1. निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला–171002
2. सचिव, नगर परिषद नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय

के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009